



हर काम देश के नाम
कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, न.1 स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 500 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1 STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500 009
दूरभाष/TELE: 040-27847957 Extn:315 फैक्स/FAX:040-27810499
ई-मेल/email: secd-ansn-cda@nic.in



No.AN/I/1031/MACP Corr

Dated: 09.05.2023

CIRCULAR

1. The CDA, IT&SDC, Secunderabad
2. All Sub-offices under CDA, Secunderabad
3. All GOs/SAOs/ AAOs/Sections in Main Office

Subject: MACP on completion of 20/30 years of service or 10 years of service after previous promotion - Reg.

MACP Scheme envisages grant of three financial up gradation to Group 'B' & 'C' employees on completion of 10, 20 and 30 years of continuous regular service.

2. As per the Scheme, three financial up gradation in the entire career of an employee will be counted against regular promotions availed from the grade in which an employee was appointed as a direct recruit.

3. The financial up gradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 10 years continuously in the same Grade pay. The second up-gradation, after completion of 10 years of regular service from the date of first financial up gradation. The third up-gradation, after completion of 10 years regular service from the date of the second financial up gradation. If the first up gradation gets postponed on account of the employee not found fit or due to departmental proceedings or not meeting the prescribed benchmark (based on APAR grading) etc., this would have consequential effect on second and third up gradation which would also get deferred accordingly.


4. It may be ensured that name of the official/officer who have already received this benefit are not forwarded again. Also ensure that no eligible official/officer is left out from your office/section. **"Nil" report is also required.**

5. In this connection, it is requested to review the position in your office and forward names of the eligible officers/staff members under MACP Scheme, who are covered up to **31.12.2023** to this office latest by **25.05.2023** to enable this office to grant MACP. Separate statements may please be forwarded for each grade in the Proforma furnished below.

STATEMENT SHOWING DETAILS OF ____ FOR GRANT OF ____ MACP BENEFIT
(GRADE) (1st/2nd/3rd)

Sl. No.	Name, Grade & Pers No.	Date of Appt in DAD with Grade	Length of qualifying service as on 31.12.2023	Promotions, if any, with Date & Grade	Date of Insitu/ ACP/ MACP Promotion (1st/2nd)	Date of Appt./Grade in previous Dept. If any

GO (AN) has seen.


(K. Ramakrishna)
Accounts Officer (AN)



कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक, नं. 1, स्टाफ रोड, सिकंदराबाद - 009
OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS
No.1, STAFF ROAD, SECUNDERABAD-500009

दूरभाष/TELE: 040-27843385

फैक्स/FAX:040-27817275



सं. प्रशा/1/1031/MACP पत्राचार

दिनांक: 09.05.2023

परिपत्र

सेवा में,

1. र.ले.नि., आई.टी.एस.डी.सी., सिकंदराबाद ।
2. र.ले.नि., सिकंदराबाद के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालय
3. मुख्य कार्यालय के सभी ग्रूप अधिकारी/व.ले.अ./स.ले.अ./ अनुभाग

विषय : पिछली प्रोन्नति के बाद 10 वर्षों की सेवा की पूर्ति पर अथवा 20/30 वर्षों की सेवा के अर्जन के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) प्रदान किए जाने के संबंध में ।

संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP Scheme) के अधीन यह परिकल्पना की गई है कि श्रेणी 'ख' और 'ग' कर्मचारियों द्वारा 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा की समाप्ति पर उन्हें तीन वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाएं ।

2. योजना के अनुसार, कर्मचारी की सीधी भर्ती की पद से उनके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान इन तीन वित्तीय उन्नयनों को उनकी नियमित प्रोन्नति के समान गिना जाएगा ।

3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन उस समय देय होगा जब कर्मचारी ने उसी ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो । पहले वित्तीय उन्नयन की तारीख से 10 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत दूसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा । उसी प्रकार दूसरे वित्तीय उन्नयन की तारीख से 10 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा । यदि कर्मचारी के सक्षम न होने के कारण अथवा विभागीय कार्यवाही के कारण उनका पहला वित्तीय उन्नयन लंबित किया जाता है तो इसका वित्तीय लाभ भी अनुवर्ती प्रभाव से दिया जाएगा और तदनुसार दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन भी आस्थगित किया जाएगा ।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिन कर्मचारियों को पहले ही यह लाभ मिल चुका है उनके नाम दोबारा न भेजे जाएं । कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपके कार्यालय/अनुभाग में सेवारत कोई भी कर्मचारी जो इस लाभ को पाने का पात्र है, वह छूट न जाए । शून्य रिपोर्ट भी भेजना आवश्यक है ।

इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय की स्थिति की समीक्षा करें और MACP योजना के अधीन जो भी अधिकारी/कर्मचारी लाभ पाने के पात्र हैं, जो दिनांक **31.12.2023** तक इस योजना के अधीन आते हैं, उनके विवरण **दिनांक 25.05.2023 तक** इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

..... MACP लाभ को प्रदान करने के लिए का ब्यौरा दर्शाती विवरणी
(1st/2nd/3rd) (पदनाम)

क्रम सं.	नाम, पदनाम व लेखा सं.	र.ले.वि. में नियुक्ति की तारीख व पद	31.12.23 तक अर्हक सेवा की अवधि	तारीख व पद के साथ प्रोन्नतियाँ, (यदि कोई हों तो)	तथावत/ACP/MACP प्रोन्नति (1 st /2 nd) की तारीख	पिछले विभाग में नियुक्ति की तारीख/ पद (यदि कोई हों तो)

ग्रूप अधिकारी ने देख लिया है ।

(के. रामकृष्णा)

लेखा अधिकारी (प्रशा)